न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:-09/16 दायर दिनांक:- 22.03.2017

जीसीएमएस नं. 2017/00309

उनवान

बाबूलाल पुत्र नथुआ जाति कारीगर निवासी खिजूरी तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

---प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार।

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत धारा आदेश 9 नियम 9

निर्णय दिनांक:- 28.06.2024

संक्षिप्त में मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण सीपीसी की धारा आदेश 9 नियम 9 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 22.03.2017 से आज दिनांक तक तलवाने में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील प्रकरण आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है एवं प्रार्थीगण व प्रार्थीगण वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की गयी है। अतः मुकदमा न0 09/16 बाबूलाल बनाम सरकार आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 28.06.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली [illegible] सुमार [illegible] से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 17:20:27 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन